कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न० (0135) – 2713551

फैक्स न० (0135) -2713724,

संख्या–961 /XXV– 53(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 27 जून, 2023

सेवा में,

श्री वैभव अग्रवाल,
पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल,
नम्बरदार धर्मकांटा,
चुडियाला रोड़ भगवानपुर,
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड मो0नं.–9837827913

विषय– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपरोक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपने अपीलीय पत्र दिनांक 12 मई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के पत्र संख्या–848 दिनांक 08 जून, 2023 द्वारा दिनांक 21 जून, 2023 के समय 02:30 बजे अपरान्ह अपील की सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी थी, जिसमें आप द्वारा प्रतिभाग नही किया गया था।

2 – उक्त सम्बन्ध में उक्त अपील पर सुनवाई हेतु पुनः अगली तिथि दिनांक 11 जुलाई, 2023 की समय– 02:30 बजे अपरान्ह निर्धारित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त नियत दिनांक व समय पर कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, विशवकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड, देहरादून में सुनवाई के दौरान उपस्थित होने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अनुरोध करना है कि यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में कार्यालय मे आकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पृ0संख्या–961 /XXV– 12(P-14) /2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।
मो0न0–9897995591

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4—सुभाष रोड़, देहरादून— 248001
Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
फोन न0 (0135) – 2713551
फैक्स न0 (0135) -2713724,

संख्या–933 /XXV– 12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 21 जून, 2023

सेवा में,

सचिव,
मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाड़पुर रिंग रोड़ देहरादून।
secy-uic@gov.in

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अधिरोपित शासित/क्षतिपूर्ति/ विभागीय कार्यवाही का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–183 दिनांक 06 जून, 2023 के साथ संलग्न मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग का पत्र संख्या–2119 दिनांक 29 मई, 2023 की प्रति इस कार्यालय में प्राप्त हुई है, जिसमें मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के उक्त पत्र के साथ संलग्न सूची के क्रंमाक 259 पर अंकित संदर्भ इस कार्यालय से सम्बन्धित है।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–1668 दिनांक 01 सितम्बर, 2021 के द्वारा सूचना पूर्व में भी प्रेषित की गयी है।

अतः इस कार्यालय के उक्त पत्र संख्या–1668 दिनांक 01 सितम्बर, 2021 की प्रति संलग्नको सहित मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग की सेवा में निवेदन सहित प्रेषित करने के निदेश प्राप्त हुए है, कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पृ0संख्या– 933 /XXV– 12(P-14) /2021 , तददिनांक।
प्रतिलिपि–सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास रिंग रोड़ देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा आरोपित शास्ति/क्षतिपूर्ति/ विभागीय कार्यवाही के अनुपालन से संबंधित पंजिका का प्रारूप

क्र0स0	द्वितीय अपील/शिकायत संख्या	पक्षकार का विवरण	निस्तारण आदेश की तिथि	शास्ति/क्षतिपूर्ति/विभागीय कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण(सम्बन्धित का नाम, पदनाम जिन पर कार्यवाही की गयी का स्पष्ट उल्लेख किया जाए)	अनुपालन से संबंधित विवरण			उत्तराखण्ड सूचना आयोग को अनुपालन से अवगत कराये जाने संबंधित पत्र का पत्रांक व दिनांक	मा0 आयोग के निर्णय के विरूद्ध यदि उत्तरदाता मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी तो उसका विवरण	अभियुक्ति
					शास्ति जमा किये जाने का विवरण(चालान संख्या व दिनांक)	क्षतिपूर्ति के भुगतान किये जाने का विवरण(चैक/ड्राफ्ट नकद)	विभागीय कार्यवाही का विवरण (विभाग का पंत्राक व दिनांक)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A7803	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल,(प्रदेश अध्यक्ष) आर0टी0आई0 मिशन उत्तराखण्ड,	25.05.2012	श्री मस्तू दास, तत्कालिक अनुभाग अधिकारी, वर्तमान पद सहा0मु0नि0अधि0(शास्ति जमा)	A7803 दिनांक 23 जून, 2012	–	–	पत्र संख्या–859 दिनांक 4.07. 2012 तथा पत्र संख्या–1668 दिनांक 01.09. 2021	–	चालान सं0–00782 दिनांक 23 जून, 2012 द्वारा उक्त लेखाशीर्षक में शास्ति की धनराशि जमा की गयी है।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in — फोन न0 (0135) 2713551

election09@gmail.com — फोन न0 (0135) 2713552

संख्या– 1668/xxv–12(11)/2018 देहरादून : दिनांक 01 सितम्बर, 2021

Email/Speed Post

सेवा में,

सचिव,
मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
secy-uic@gov.in

विषय– **माननीय आयोग द्वारा आरोपित की गयी क्षतिपूर्ति/दण्ड/विभागीय कार्यवाही/माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा प्राप्त स्थगन आदेश के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या–5137/मु0सू0आ0/उ0सू0आ0/दण्ड/2021 दिनांक 29 सितम्बर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अपीलों/शिकायतों में मा0 आयोग द्वारा विभागीय कार्यवाही/शास्ति/क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी हैं तथा अधिरोपित विभागीय कार्यवाही/शास्ति/क्षतिपूर्ति की धनराशि सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी के वेतन से आहरित कर राजकोष में जमा करवाये जाने के निर्देश दिये गये गये हैं। इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार निवेदन करना है–

1– क्र0सं0–1 अपील संख्या–A1882 जिसमें अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों का विवरण श्री रोशन सिंह कैंतुरा पुत्र स्व0 श्री पूरन सिंह कैन्तुरा, बालावाला देहरादून प्रतिवादी 1–लोक सूचना अधिकारी, जिला विकास अधिकारी देहरादून। 2–विभागीय अपीलीय अधिकारी स0 जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानी पंचायत चुनाव देहरादून है। **इस कार्यालय से सम्बन्धित न होकर मा0 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड से सम्बन्धित है।**

2– क्र0सं0–3 अपील संख्या–A29716 जिसमें अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों का विवरण श्री मुनेन्द्र सिंह रावत, पुत्र श्री पी0एस0 रावत, 60 विद्या विहार फेस–1, कारगी रोड़, देहरादून–248001,/कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, जिला टिहरी गढ़वाल/कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी पंचास्थानित चुनावालय, जिला टिहरी–गढ़वाल है। **इस कार्यालय से सम्बन्धित न होकर मा0 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड से सम्बन्धित है।**

3– क्र0सं0–2 अपील संख्या– A7803 इस कार्यालय से सम्बन्धित है जिसके क्रम में निवेदन सहित अवगत कराना है कि श्री मस्तू दास, लोक सूचना अधिकारी/तत्कालीन अनुभाग अधिकारी (वर्तमान पदनाम सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी) द्वारा कोषागार चालान संख्या–00782 दिनांक 23 जून 2012 द्वारा रू0 2,500/– (रू0 दो हजार पांच सौ) मात्र की धनराशि लेखाशीर्षक– 0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, 60–अन्य सेवायें, 800–अन्य प्राप्तियां, 06–अन्य प्रर्कीण प्रतियां में जमा की गयी है। जिसकी प्रति पूर्व ही इस कार्यालय के पत्र संख्या–859 दिनांक 04 जुलाई 2012 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु निवेदन सहित उक्त चालान की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, साथ सूचना का विवरण निम्नवत है–

अपील/ शिकायत संख्या	निस्तारण का दिनांक	शास्ति/क्षतिपूर्ति	मा0 हाईकोर्ट द्वारा दिये गये स्थगन आदेश (यदि स्थगन हुआ है तो उसका प्रमाण)	अनुपालन कर दिया हो तो उसका प्रमाण	अभ्युक्ति
A7803	25–05–2012	रू0 2,500/–	----	हॉ शास्ति की धनराशि जमा की गयी है।	चालान सं0–00782 दिनांक 23 जून 2012 द्वारा उक्त लेखाशीर्षक में शास्ति की धनराशि जमा की गयी है।

अतः उक्तानुसार सूचना मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग को सूचना सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने के मुझे निदेश प्राप्त हुए हैं। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 859 /XXV–20/2012 देहरादून : दिनांक 4 जुलाई, 2012

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सैक्टर-1, सी0-30,
डिफैन्स कालोनी, देहरादून।

विषय:- **अपील संख्या 7803/2012 श्री सुरेन्द्र अग्रवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 7929 दिनांक 30 मई, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भ में निवेदन करते हुए अवगत कराना है कि अपील संख्या 7803/2012 श्री सुरेन्द्र अग्रवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड में मा0 सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णण दिनांक 25 मई, 2012 के अनुपालन में उक्त अपील में लोक सूचना अधिकारी आरोपित शास्ति की धनराशि रूपये 2500/- कोषागार चालान के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग के राजस्व खाते में जमा कर दी गयी है। कोषागार चालान की छायाप्रति मा0 आयोग के आदेश के अनुपालन में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया तद्नुसार अनुपालन आख्या मा0 आयोग की सेवा में प्रेषित है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

कोषागार प्रति TREASURY COPY

विभागीय प्रतिलिपि Departmental Copy

जमाकर्ता प्रतिलिपि DEPOSITOR COPY

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2

प्रपत्र संख्या–43ए (2)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

कर्ज एवं अग्रिम की अदायगी से सम्बन्धित धनराशि जमा करने को चालान फार्म

1	उपकोषागार (नॉन बैंकिग)/बैंक का नाम व शाखा	एस. बी. आई. देहरादून
	जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनरशि जमा की जा रही है उसका नाम	मस्तू दास, अनुभाग अधिकारी
2	पता	कार्यालय :- सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून
3	पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)	RTI अपील संख्या – A(D)-7803/201
4	जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है, उस लेखा शीर्षक का विवरण जिसमें मूल अग्रिम आहरित किया गया था।)	सामान्य प्रशासन विभाग के राजस्व खाते में मा. सूचना आयोग द्वारा निर्धारित / आरोपित शास्ति।
5	चालान की सकल (gross) राशि	2,500=00 (दो हजार पांच सौ)
6	चालान की निबल (net) राशि	2,500=00
7	अवधि जिसकी वसूली की गई	
8	मूल धनराशि	2,500=00
9	ब्याज धनराशि	xx
10	किश्त संख्या	सम्पूर्ण
11	एस.एल.आर. (subsidiary loan register) संख्या	
12	भुगतान का प्रकार	नकद
13	लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की गोहर	
14	लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड	

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लधु–शीर्षक	उप शीर्षक	व्यौरेवार–शीर्षक
0070	60	800	06	

0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें
60-अन्य सेवायें
800-अन्य प्राप्तियों
06-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां

भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, देहरादून-0630 BSR No. (अंको में) 23 JUN 2012 2500 Ram Charan - 3716961 सरकारी प्राप्तियां

00282

धनराशि (शब्दों में) दो हजार पांच सौ योग | | 2500=00

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड

जमाकर्ता के नाम व हस्ताक्षर (मस्तू दास)

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिग)/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या ....अंको में रू. [ ]

दिनांक ....शब्दों में रू. [ ]

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार (नॉन बैंकिग)/ बैंक की मोहर

विवरण : रोकड़ (विवरण सहित) नोट/सिक्के	(धनराशि रूपयों में)
1000 X 2	2000=00
500 X 1	500=00
100 X	
50 X	
20 X	
10 X	
5 X	
2 X	
1 X	
चेक (पूर्ण विवरण के साथ) योग	2,500=00

टिप्पणी:-

1 जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आबकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2 जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नही होगा।

3 यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

संख्याः 520/xxvii (1)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) माजरा देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून।
6. निदेशक, एन.आई.सी. उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)

सचिव, वित्त।